# भारत सरकार अधिनियम, 1919
## (Govt of India Act, 1919)

## माण्टेग्यू – चेम्सफोर्ड सुधार

1909 से 1919 का काल स्वशासन की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन संवैधानिक विकास के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण काल साबित हुआ क्योंकि इसी अवधि में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और बंगाल विभाजन का अन्त हुआ। इसी समय प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ और भारतीय जनजीवन के रंगमंच पर सत्याग्रह के प्रणेता महात्मा गाँधी का पदार्पण हुआ। ये दो परस्पर विरोधी घटनाएँ अमिट सम्भावनाओं से परिपूर्ण थी और इनके प्रभाव से भारतीय जीवन में सर्वतोमुखी क्रांति की लहरें उठने लगी।

राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और क्रान्तिकारी आन्दोलन चलते जा रहे थे और दूसरी ओर सरकार की ओर से दमन-चक्र भी तेजी से चल रहे थे। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के निकट आने लगी। वस्तुतः भारतीय जनता में व्यापक असन्तोष व्याप्त हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने तन-मन-धन से ब्रिटेन की सहायता की। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारत द्वारा की गयी सहायता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। साथ ही वे यह भी कह रहे थे कि ब्रिटेन लोकतंत्र, न्याय और आत्मसम्मान आदि कारणों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था। एनी बीसेण्ट और तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादियों ने यह माँग की कि इन उच्च आदर्शों के अनुसार भारत को भी स्वशासन या होमरूल प्रदान किया जाय। इस आन्दोलन और भारतीयों की सहायता और बलिदान से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति उत्तरदायी शासन की नीति अपनाने का निश्चय प्रकट किया। इस नीति की घोषणा करते हुए 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री माण्टेग्यू ने कॉमन सभा में कहा, "ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि भारतवासियों को शासन के हर एक विभाग में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ भाग दिया जाए और ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जो स्वायत्त शासन के कार्य में लगी हुई है जिससे भारत में धीरे-धीरे एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की नींव रखी जा सके और वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके।" उत्तरदायी शासन की स्थापना की इस नवीन नीति को कार्यान्वित करने के लिए भारत मंत्री माण्टेग्यू और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने समस्त भारत का दौरा करने के बाद 1918 में ब्रिटिश संसद के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 1919 में एक भारत शासन अधिनियम पारित किया जो माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(iii) **साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति की अस्वीकृति** :- रिपोर्ट में भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक झगड़ों के प्रभाव को स्वीकार किया गया लेकिन यह विश्वास प्रकट किया गया कि स्वतंत्र भारत इन सब समस्याओं के हल करने में सफल हो जाएगा। साम्प्रदायिक समस्या की जटिलता का कारण विदेशी सत्ता भी थी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि हम एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय पर प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट तैयार करनेवाले व्यक्तियों ने अल्पमतों को सांस्कृतिक स्वायत्तता, रक्षा कवचों और अनेक प्रकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की परन्तु इन्होंने साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति तथा गुरु भार (आबादी से अधिक स्थान) को मानने से इन्कार कर दिया क्योंकि इससे साम्प्रदायिक समस्या हल होने के बजाए और अधिक उग्र रूप धारण करती है। ऐसी पद्धति को राष्ट्रीय हित के विरुद्ध समझा गया। रिपोर्ट में संयुक्त चुनाव पद्धति की सिफारिश की गई परन्तु अल्पमतों की हितों की रक्षा के लिए स्थानों को आरक्षित करने पर भी बल दिया गया।

(iv) **नए प्रान्तों का निर्माण** :- मुसलमान बहुत समय से माँग कर रहे थे कि सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग किया जाए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को समान दर्जा दिया जाए ताकि पंजाब, बंगाल, सिन्ध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में उनका बहुमत हो जाए। मुसलमानों की यह माँग प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में स्वीकार कर ली गई।

(v) मौलिक अधिकार :- रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की सारी शक्तियाँ लोगों से ली गई है और वे लोगों की संस्थाओं द्वारा इस संविधान के अनुसार प्रयोग में लाई जाएंगी। इसका अर्थ यह था कि प्रभुसत्ता लोगों के पास रहेगी। भारत में कोई भी राजधर्म नहीं होगा। पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार मिलेंगे।

(v) **संसद** :- भारत सरकार की कानूनी शक्तियाँ संसद (पार्लियामेन्ट) के पास रहेंगी जो सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी। सीनेट में 200 सदस्य होंगे जो प्रान्तों की विधान परिषदों द्वारा चुने जाएँगे। प्रत्येक प्रान्त को उसकी आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य होंगे जो बालिगों द्वारा चुने जायेंगे। 21 वर्ष या अधिक आयुवाले प्रत्येक उस व्यक्ति को प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में भी 21 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार होगा। विदेशी मामलों में संसद के वही अधिकार होंगे जो अधिराज्यों की संसदों के हैं।

(vi) **भारतीय रियासतें** :- औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद केन्द्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर वही अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो अब केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद किसी देशी रियासत से किसी संधि या सनद (          ) के विषय में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से उस

(IV) **एकात्मक शासन** :- भारत का शासन संघात्मक न होकर अभी तक एकात्मक ही
था। भारत में प्रान्त और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ स्वतंत्र नहीं थी। वे केन्द्र
के ही अधीन थी। गवर्नर जनरल जिनमें शासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्र के समस्त
अधिकार निहित थे, प्रान्तों के लिए भी सर्वेसर्वा था। एकात्मक का अर्थ यही है
कि शासन संबंधी सम्पूर्ण अधिकार (एक आदमी अर्थात्) केन्द्रीय शक्ति में निहित है

(IV) **भारतीय व्यवस्थापिका का सत्ताहीन स्वरूप** :- इस अधिनियम द्वारा जिन
भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं का निर्माण किया गया वे डायसी के शब्दों में विधि
निर्माण करनेवाली सत्ता रहित संस्थाएँ थी। उनकी शक्ति और उनके अधिकार का स्रोत
भारत सरकार अधिनियम था जो देश का सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ कानून था। भारतीय
व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा निर्मित कानून उसी हद तक वैध माने जा सकते थे, जब तक कि
इस सर्वोपरि कानून से उनका विरोध नहीं होता था।

(V) **केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की बढ़ोत्तरी** :- भारतीय उच्च न्यायालय
के उन वकीलों को परिषद का लॉ सदस्य होने के योग्य ठहराया गया, जिन्हें उनमें
कार्य करते हुए दस वर्ष हो चुके हो। ऐक्ट द्वारा कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की
संख्या 01 से बढ़ाकर 03 कर दी गयी।

(VI) **केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण** :- इस अधिनियम द्वारा प्रशासन तथा राजस्व के कुछ
विषयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया अर्थात् उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से
हटाकर प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया। प्रान्तों में पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने
का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार लार्ड कर्जन द्वारा चलाई गई केन्द्रीकरण की
नीति का अवसान हुआ।

(VII) **शक्ति विभाजन** :- 1919 के ऐक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रान्तों में आंशिक रूप
से उत्तरदायी शासन अथवा द्वैध शासन की व्यवस्था करना था। प्रांतीय शासन दो भागों में
विभाजित किया गया - रक्षित और हस्तान्तरित। प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका में कुछ मंत्री चुने
गए और हस्तान्तरित विषयों का भार उनके हाथों में सौंप दिया गया। रक्षित विषय गवर्नर
और उसकी कार्यकारिणी परिषद के लिए सुरक्षित रखे गए।

(VIII) **इण्डिया कौंसिल में परिवर्तन** :- अधिनियम द्वारा भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए
गए। इनमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान
रखा गया। सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार
भारत परिषद के कार्य संचालन के नियमों, वेतन आदि में परिवर्तन किया गया।

(IX) **नरेश मंडल की स्थापना** :- अधिनियम द्वारा नरेश मंडल का प्रावधान रखा गया
जिसका प्रधान वायसराय था। नरेश मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी। नरेशमंडल
एक परामर्शदात्री के समान था।

(X) **साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार** :- मॉण्ट-फोर्ड रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचनों
की निन्दा की गई थी, परन्तु अधिनियम में मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों,